सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 68/2016

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

किशनलाल पुत्र छोटू जाति रेगर निवासी ग्राम टांकावास तहसील सावर जिला अजमेर

—वादी

♠ बनाम ♠

1. पांचू पुत्र छोटू
2. कैलाश पुत्र छोटू
3. सजनी पुत्री छोटू
4. मनभर पुत्री छोटू
5. धन्नी पत्नि छोटू
6. गोकुल पुत्र देवी
   समस्त जाति रेगर निवासीगण टांकावास तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर

———प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,53,209,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 06.06.2018

पत्रावली आज दिनांक 06.06.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प टांकावास में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188,53,209,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम टांकावास तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2068—71 के खाता नम्बर 83 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 81, 492, 493, 502, 503, 668 किता 6 कुल रकबा 1.06 है. भूमि वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 6 की पुश्तेनी आराजीयात है। वाद वर्णित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 5 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी 6 का 1/2 हिस्सा है। वाद वर्णित आराजीयात में वादी का 1/12 एवं प्रतिवादी 1 लगायत 5 का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी 1 लगायत 5 अपने पूर्वजों के समय से अपने—अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर फसल काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण आये दिन सीमांकन को लेकर वादी से विवाद करते रहते है व आराजी के उपयोग उपभोग में बाधा पंहुचाते है एवं वादी से लडाई झगडा कर बेदखल करने पर आमादा है। जिसके कारण यह वाद पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण स्वयं व उनके नोकर, चाकर, हाली, सीरी, परिवार सदस्यगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजीयात में वादी के हिस्से के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा या दखलन्दाजी नही करें ना ही अवैध रूप से बेदखल करें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 4 स्वयं उपस्थित। बकाया प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प टांकावास में पेश हुई जहां वादी स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वाद वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से वादी का वाद प्राइमाफेसाइ केस होना जाहिर होता है तथा वाद का संतुलन वादी के पक्ष में है।

अतः वादी का वाद वाके ग्राम टांकावास तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2068—71 के खाता नम्बर 83 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 81, 492, 493, 502, 503, 668 किता 6 कुल रकबा 1.06 है. भूमि स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 से 6 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा या दखलन्दाजी न करे एव ंन ही वादी को वाद वर्णित आराजीयात से जबरन अवैध रूप से बेदखल करें। तहसील सावर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी का मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्से एवं मौके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी